प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 728 सन 2021

अनवान :–

1. गुरलाल पुत्र दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
2. गुरप्रीत सिह पुत्र बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. दर्शनसिह पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
3. जसविन्द्र पुत्री दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
4. सुखप्रीतकोर पुत्री दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
5. जसप्रीत कौर पुत्री दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
6. सर्वजीत कौर पुत्री बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रमनजीत कौर पुत्री बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. किरपाल पुत्री बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 89/28 की कुल 3.0640हैक रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 26/28 की कुल 0.6320हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 28/25 की कुल 5.6880हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 116/103 की कुल 11.6380हैक में से 1895/23276 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं 569'5/23276 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्रवणसिह पुत्र मधरसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्रवणसिह पुत्र मधरसिह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्रवणसिह पुत्र मधरसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादीगण का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाजारी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उनके नाम से दर्ज भूमि उनके पिता श्रवणसिंह पुत्र मधरसिंह के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाली दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य बयानी एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल/आपकी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 89/28 की कुल 3.0640हैक रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 26/28 की कुल 0.6320हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 28/26 की कुल 6.6880हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 116/103 की कुल 11.6380हैक में से 1895/23276 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं 5695/23276 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भू0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि श्रवणसिंह पुत्र मधरसिंह के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के श्रवणसिंह पुत्र मधरसिंह के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्रवणसिंह पुत्र मधरसिंह के देहान्त होने के वाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 89/28 की कुल 3.0640हैक रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 26/28 की कुल 0.6320हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 28/25 की कुल 5.6880हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 116/103 की कुल 11.6380हैक में से 1895/23276 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं 5695/23276 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...गुडिया

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुरलाल पुत्र दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
2. गुरप्रीत सिह पुत्र बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. दर्शनसिह पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
3. जसविन्द्र पुत्री दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
4. सुखप्रीतकोर पुत्री दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
5. जसप्रीत कौर पुत्री दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर
6. सर्वजीत कौर पुत्री बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रमनजीत कौर पुत्री बलवीर सिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. किरपाल पुत्री बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 728 सन 2021 निर्णय दिनांक– 12.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 89/28 की कुल 3.0640हैक रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 26/28 की कुल 0.6320हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 28/25 की कुल 5.6880हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 116/103 की कुल 11.6380हैक में से 1895/23276 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं 5695/23276 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.....गुडिया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner